न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष–एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1749–दो/10 विरूद्ध आदेश दिनांक 26.7.10 पारित द्वारा अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर प्रकरण कमांक 526/अ–27/09–10.

1– छत्तर सिंह पुत्र मुल्लू सिंह ग्राम सुन्दरादेही
तहसील पाटन (पुरानी)नई तहसील शहपुरा
जिला जबलपुर म0प्र0

2– श्रीमती हीरावाई पुत्री मुलूसिंह मृतक वारिस

1–श्रीमती शीलावाई पत्नि हुकुमसिंह
निवासी ग्राम पथरोरा तहसीलदार पाटन

2– श्रीमती सरोजवाई पत्नि मदन सिंह
निवासी ग्राम सुन्दरादेही तहसील शहपुरा

3–श्रीमती उमावाई पत्नि खुमान सिंह
ग्रम हरदुआ तहसील पाटन

4– राजासिंह पुत्र अर्जुनसिंह ग्राम मातनपुर
बेलखेड़ा तहसील पाटन

5– श्रीमती शिवकुमारी पत्नि रोशनसिंह
ग्रम बजरंगगढ़ तहसील पाटन

3– किशन सिंह पुत्र स्व0 मुलू सिंह

4– श्रीमती कुंतीवाई पत्नि स्व0 मुलू सिंह
वारिस अन्य आवेदकगण

5- चेतसिंह उर्फ वंशी पुत्र कोदूसिंह लोधी
निवासीगंण ग्राम सुन्दरादेही पुरानी तहसील पाटन
हाल तहसील शहपुरा जिला जबलपुर

-- आवेदकगंण

विरूद्ध

कम्मोद सिंह पुत्र मुलू सिंह लोधी
निवासी ग्राम सुन्दरादेही पुरानी तहसील पाटन
हाल तहसील शहपुरा जिला जबलपुर

-- अनावेदक

(आवेदकगंण के अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा)
(अनावेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव)

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4-12-2015 को पारित)

यह निगरानी अतिरिक्त आयुक्त संभाग जबलपुर प्रकरण कमांक 656 अ-27/08-09 में पारित आदेश दिनांक 26.7.2010 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2- संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि मौजा राजौला रिधपुर व बिहारीपुरा तहसील पाटन वर्तमान शाहपुर जिला जबलपुर कुल किता 11 कुल रकबा 21.30 है0 भूमिस्वामी आवेदक व अनावेदक है इस प्रकार वशर्ते भूमियों का बटंवारा कराये जाने हेतु आवेदन पत्र कम्मोद सिंह व चेतसिंह द्वारा तहसील

न्यायालय में प्रस्तुत किया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 15/अ-27/97-98 पर दर्ज कर प्रकरण में इस्तहार व उद्घोषणा का प्रकाशन कराया व उभयपक्ष को नोटिस जारी किये जिसमें उभयपक्ष द्वारा प्रकरण में उपस्थित होकर दस्तावेज व साक्ष्य व फर्द बंटवारा उभयपक्षों द्वारा तैयार कर प्रस्तुत किया जिसके आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 29.5.98 को उभयपक्षों के मध्य साक्ष्य लेकर बंटवारा आदेश पारित किया ।

2- तहसील न्यायालय में आदेश दिनांक 29.5.98 के विरूद्ध अपील कम्मोद सिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पाटन के विरूद्ध प्रस्तुत की गई तथा अपील के साथ एक आवेदन धारा 5 अवधि विधान का मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमें तहसील न्यायालय में आदेश दिनांक 29.5.98 जानकारी मौजा पटवारी से खसरे की नकल खाद व बीज के लिये निकालना बताया जिसका खण्डन छतरसिंह ने धारा 5 अवधि विधान के आवेदन पत्र का जबाव मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया किन्तु अनुविभागीय अधिकारी पाटन द्वारा अपील में हुये विलम्ब को क्षमा करते हुये दिनांक 28.3.2003 को अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जिसकी अपील छतरसिंह आवेदक द्वारा आयुक्त जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें अपर आयुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रस्तुत किया कि प्रकरण में 30 दिवस के अन्दर गुण दोषों के आधार पर निर्णय करें ऐसा आदेश

दिनांक 3.8.09 को दिया। जिसके विरूद्व आवेदक छतरसिंह द्वारा एक पुनर्विलोकन आवेदन आदेश दिनांक 3.8.2009 के विरूद्व अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जो दिनांक 26.7.10 को निरस्त किया जिसके विरूद्व निगरानी छतरसिंह आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जिसमें उभय पक्षों को नोटिस व रिकार्ड पूर्ण होने पर प्रकरण तर्क हेतु नियत किया गया ।

3–आवेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये जिसकी प्रति अनावेदकगंण के अधिवक्ता को दी गई। अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि वह अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण कर दिया जाय तथा न्यायालय द्वारा उनको दस दिवस का लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया ।

4–आवेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में बताया कि अनावेदक कम्मोद सिंह व चेतसिंह द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष प्रकरण में वर्णित भूमियों के संबंध में बंटवारा आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मुझ आवेदक छतरसिंह को आहूत किया गया साक्ष्य व दस्तावेज उभयपक्षों की ली जाकर व उभयपक्षों के मध्य फर्द बंटवारा तैयार की जाकर तहसील न्यायालय ने उभयपक्ष के मध्य दिनांक 25.9.98 को बंटवारा आदेश पारित किया जिसमें उभयपक्ष को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी दिनांक 29.5.98 को पूर्णरूप से थी। जिसके सबंध में कम्मोद सिंह द्वारा 2 वर्ष 7 माह

पश्चात् अपील प्रस्तुत करने में गलत तथ्यों के आधार पर धारा 5 अवधि अधिनियम आवेदन व झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया। इन कानूनी बिन्दुओं को अनुविभागीय अधिकारी पाटन द्वारा अनदेखा कर रिकार्ड के विपरीत आदेश पारित किया है। अनुविभागीय अधिकारी पाटन द्वारा इस कानूनी बिन्दु विचार नहीं किया है कि कम्मोद सिंह अनावेदक तहसील न्यायालय में स्वयं आवेदक है और उसके द्वारा प्रकरण में वर्णित भूमियों में बंटवारे हेतु आवेदन प्रस्तुत कर कार्यवाही प्रारंभ की है । दूसरी तरफ कम्मोदसिंह द्वारा आदेश दिनांक 29.5.98 की जानकारी के संबंध में धारा –5 अवधि अधिनियम आवेदन व शपथ पत्र में तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी मौजा पटवारी से खाद बीज लेने के लिये खसरे की नकल प्राप्त होने पर जानकारी हुई । कम्मोदसिंह का वक्तव्य विचारण न्यायालय के समक्ष व अनुविभागीय अधिकारी पाटन के समक्ष विरोधाभासी है जो साक्ष्य में ग्रहण योग्य नहीं है तथा रिकार्ड के विपरीत है । इस कानूनी बिन्दु को अनदेखा कर अनुविभागीय अधिकारी पाटन द्वारा तहसील न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.5.98 अपने आदेश दिनांक 28.3.2003 द्वारा निरस्त कर अनियमित आदेश पारित किया जो स्थिर रहने योग्य नहीं है ।

5– यह कि अनुविभागीय अधिकारी पाटन द्वारा इस कानूनी बिन्दु पर भी विचार नहीं किया कि अपीलांट जो शामिल सरीक परिवार व एक ही खानदान के है । उन सभी को

तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 29.5.98 की पूर्ण जानकारी है किन्तु उनके द्वारा कोई शपथपत्र व आवेदन पत्र पृथक से अपील के साथ प्रस्तुत न कर समय वाह्य अपील कम्मोद सिंह के साथ प्रस्तुत की है जो अवधि वाह्य होने से प्रारंभिक स्तर पर ही ग्रहण योग्य नहीं थी। जिसे स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है तथा दिन प्रतिदिन हिसाब अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में नही दिया गया है इस कारण आदेश अनियमित होने से स्थिर रहने योग्य नहीं है । इस सबंध में रेवेन्यू निर्णय 1989 पेज 243 भंवरी बाई विरूद्ध विमला बाई है ।

6- अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा विचारण न्यायालय व प्रथम अपीलीय न्यायालय में वर्णित तथ्यों व दृष्टि साक्ष्य व रिकार्ड के आधार पर अपने आदेश दिनांक 3.8.09 में निष्कर्ष न निकाल कर प्रकरण को प्रत्यावर्तित कर 30 दिवस के अन्दर प्रकरण का निराकरण गुणदोषों के आधार पर करने का निर्देश दिया जो कि न्यायोचित न होकर अवैधानिक है। क्यों कि तीस दिवस के अन्दर प्रकरण में गुणदोषों के आधार पर कार्यवाही व निर्णय किया जाना संभव नहीं है । अपर आयुक्त जबलपुर के विवादित आदेश दिनांक 3.8.09 के विरूद्ध पुनर्विलोकन का आवेदन पत्र आवेदक छतरसिंह द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया किन्तु अपर आयुक्त जबलपुर द्वारा पुनः विचार न कर तथा प्रकरण में आई साक्ष्य व दस्तावेज व रिकार्ड के आधार पर प्रकरण का गुणदोषों के

आधार पर निराकरण न कर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है जो स्थिर रहने योग्य नहीं है ऐसी स्थिति में आवेदक अधिवक्ता के तर्को से सहमत हूँ । परिणामतः निगरानी स्वीकार की जाती है । तथा अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश दिनांक 3.8.09 व द्वितीय 26.7.10 अनुचित व अनियमित होने से निरस्त किये जाते हैं तथा तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 29.5.98 विधिपूर्ण होने से स्थिर रखा जाता है।

एम0 के0 सिंह
सदस्य

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर